पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
प्रेस–विज्ञप्ति
विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–25.06.2024

दिनांक 24/25.06.2024 को थाना चिनहट 01, गाजीपुर 01, नगराम 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना मड़ियांव–दिनांक 25.06.2024 को थाना मड़ियांव पर सूचना दिया कि वादी राम सहारे पुत्र स्व0 मोती निवासी–ग्राम सहावपुर थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर हालपता–ग्राम सरईया थाना बीकेटी लखनऊ ने थाना मड़ियावं पर सूचना दिया कि वादी की पुत्री आरती उम्र करीब 25 वर्ष पिछले 07 वर्षों से रिजवान के साथ लिव–इन में रह रही थी। रिजवान पहले से ही शादीशुदा था। दिनांक 22.06.2024 को वादी की बेटी आरती उपरोक्त ने रिजवान की प्रताड़ना से तंग जहर खा लिया। इसके बाद रिजवान वादी की बेटी को लेकर बलरामपुर हॉस्पिटल गया और वादी के बेटी के फोन से वादी को फोन करके बताया कि उसकी पुत्री ने आरती ने जहर खा लिया है। इसके बाद वादी अपने परिजनों के साथ बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि वादी की पुत्री आरती उपरोक्त की मृत्यु हो गयी है। इसके बाद रिजवान वहां से चला गयाा। रिजवान वादी की पुत्री को प्रताड़ित करता था जिसके कारण वादी की पुत्री ने जहर खा लिया और उसकी मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना मड़ियावं पर मु0अ0सं0 381/2024 धारा 306 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना पीजीआई–दिनांक 25.06.2024 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 25.06.2024 को समय करीब 06.30 बजे स्टेशन मास्टर ट्रांसपोर्ट नगर द्वारा थाना स्थानीय पर एक मेमो इस आशय का भेजा गया कि उतरेठिया ट्रांसपोर्ट नगर नार्थ लाइन किमी सं0 4/11–4/13 के बीच में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री ओमपाल सिंह मो0नं0 9412048066 थाना पीजीआई द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि सूचना मिलते ही तुरन्त मय पुलिस बल मौके पर पहुंचकर देखा गया तो पता चला कि एक व्यक्ति की किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गयी है। मृतक की पास से एक अदद डायरी व एक टूटा हुआ कीपैड मोबाइल प्राप्त हुआ। डायरी में से प्राप्त एक मोबाइल नं0 से संपर्क करने पर श्री विमल कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी–म0नं0 559ख/189 श्रीनगर श्रृगांरनगर थाना आलमबाग लखनऊ मौके पर आये और उनके द्वारा मृतक की शिनाख्त अपने मौसेरे भाई अंकुर पुत्र स्व0 मुन्नन उर्फ निर्मल सिंह, उम्र करीब 33 वर्ष निवासी–सदाबरती थाना कोतवालीनगर जनपद आजमगढ़ के रूप में किया गया। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक अविवाहित था। मृतक मजदूरी का काम करता था।

<u>थाना बीकेटी</u>–दिनांक 25.06.2024 को थाना बीकेटी द्वारा बताया गया कि श्री सुभाष पुत्र स्व0 लालजी निवासी–ग्राम सरकपुर सरैया थाना बीकेटी लखनऊ ने थाना बीकेटी पर सूचना दिया कि आज दिनांक 25.06.2024 को लालजी पुत्र स्व0 रामचन्दर उम्र करीब 49 वर्ष आर0के0बी0के0 पेट्रोल पंप के बाएं साइड अपने भांजे अनिल पुत्र अवध बिहारी की परचून (किराना) की दुकान में सुबह में करीब 03.30 बजे अनिल के द्वारा दुकान खोले जाने पर दुकान के अन्दर मृत अवस्था में पाये गये। **इस सूचना पर प्रशिक्षु एस0आई0 श्री अजय कुमार गौतम मो0नं0 9235732455 थाना बीकेटी द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त परचून की दुकान में लालजी उपरोक्त कभी–कभी सोने जाया करते थे। बीति रात्रि में भी दुकान के अन्दर सोये हुये थे। लालजी उपरोक्त ईंट भट्टे पर मजदुरी का काम करते थे। सुबह में लालजी के भांजे ने जब दुकान खोलकर जगाने के लिए गया तो देखा कि मृत अवस्था में पड़े हैं। प्रथमदुष्ट्या दुकान के अन्दर लगे बिजली के तार से करंट लगने से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। मृतक के 02 पुत्र हैं।

<u>थाना बीकेटी</u>–दिनांक 25.06.2024 को थाना बीकेटी द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 25/06/2024 को समय करीब 13.00 बजे थाना स्थानरीय पर सूचना प्राप्त हुयी कि विनीत ढावे के पास एक्सीडेन्ट हो गया है जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गयी है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय से उ0नि0 श्री लक्ष्मीरतन सेकेण्ड मोबाइल के साथ मौके पर पहुँचे तो ज्ञात हुआ कि **अम्बिका प्रसाद पुत्र स्व0 मैकूलाल निवासी ग्राम भैंसामऊ थाना बीकेटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 45 वर्ष** जो सरैंया भट्टे पर काम करते थे और जो खाना खाने हेतु साइकिल से घर जा रहे थे कि विनीत ढाबे से थोड़ा आगे लखनऊ की तरफ एक चार पहिया वाहन (कार) के चालक ने कार को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर उनकी साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिससे अम्बिका प्रसाद मौके पर गम्भीर रूप से घायल हो गये जिनको उचित माध्यम से उपाचर हेतु रामसागर मिश्र 100 शैय्या अस्पताल बीकेटी ले जाया गया वहाँ पर डाक्टर ने अम्बिका प्रसाद उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया । **अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना मोहनलालगंज</u>–दिनांक 25.06.2024 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री बलदेव प्रसाद पुत्र स्व0 रामरतन निवासी–ग्राम शंकरखेड़ा कोडरा रायपुर, थाना मोहनलालगंज लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 23.06.2024 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि को विपक्षी समर सेबल जबरजस्ती घर के सामने भर रहे थे। वादी के विरोध किया तो हरिशंकर पुत्र स्व0 सत्यनारायन, सुनील पुत्र हरिशंकर व सुजीत पुत्र हरिशंकर ने जान से मारने की नियत से वादी व वादी की पुत्री के ऊपर कुल्हाड़ी से सर पर जानलेवा हमला कर दिया वादी व वादी की पुत्री को गंभीर चोटें आयीं हैं। उक्त विपक्षी लोगों ने धमकी देते हुये कहा कि अगर कहीं पर शिकायत करोगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोडूंगा। बीच–बचाव में आये वादी के पुत्र जगदेव को भी चोटें आयीं हैं। **इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 258/2024 धारा 307/323/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**